UTTARAKHAND HIGHER JUDICIAL SERVICE
DIRECT RECRUITMENT EXAMINATION-2022

PAPER-3

Maximum Marks: 100 **Time: 02 Hours**

Note:

(i) All questions are Compulsory.

(ii) All the Questions are to be answered in one language either in English or in Hindi.

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 (30 Marks)

Q. 1 "Fact discovered and not the object discovered" is relevant under Section 27 of the Indian Evidence Act, 1872. Elucidate with reference to decided cases.

"तथ्य की स्पष्टता न कि वस्तु की बरामदगी" भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अर्न्तगत सुसंगत है। निर्णित मामलों के सन्दर्भ से स्पष्ट करें।

(10 Marks)

OR

Elaborately discuss the rights of parties to lead secondary evidence with respect to documents, stating the grounds on which secondary evidence can be adduced.

दस्तावेजों के संबंध में द्वितीय साक्ष्य को प्रस्तुत करने के आधार बताते हुए, पक्षकारों के द्वितीय साक्ष्य देने के अधिकार के बारे में विस्तृत चर्चा करें ।

(10 Marks)

Q. 2 There is no contradiction between Section 133 and Illustration (b) of Section 114 of the Indian Evidence Act, 1872. Explain with rulings.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 और धारा 114 के दृष्टांत (बी) में कोई विरोधाभास नहीं है। निर्णयों के साथ समझायें।

(10 Marks)

Q. 3 Explain briefly "extra-judicial confession" and briefly describe its evidentiary value.

"न्यायेतर स्वीकारोक्ति" को संक्षेप में समझायें और उसके प्रमाणिक मूल्य का संक्षिप्त वर्णन करें।

(05 Marks)

OR

In case of multiple dying declarations, in variance, what should be the approach of the court in appreciating it?

मतभेदपूर्ण विभिन्न मृत्युकालिक कथनों के मामलों में, सबूत की सराहना करते समय न्यायालय का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए ?

(05 Marks)

Q. 4 Write short notes on:

a. Evidence is weighed not counted

b. Whether a videographed statement recorded before a police officer is substantive evidence?

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

क. साक्ष्य को तोला जाता है न की गिना जाता है

ख. क्या पुलिस अफसर के समक्ष वीडियोग्राफ करके अभिलिखित किया गया बयान ठोस सबूत होता है ?

(2.5 x 2 = 05 Marks)

CODE OF CIVIL PROCEDURE (30 Marks)

Q. 5 Discuss briefly the scope of the revisional powers of the court under Section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908, specifically taking into consideration the Amendment Act 1999 in its application to the State of Uttarakhand.

सिविल प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अन्तर्गत न्यायालय की पुनरीक्षण करने की शक्ति की सीमा की, उत्तराखण्ड राज्य में लागू संशोधन अधिनियम, 1999 पर विशेष रूप से विचार करते हुए, संक्षेप में चर्चा करें।

(05 Marks)

OR

The provision of filing examination-in-chief in a civil suit of a witness is not contrary to the requirement under Rule 5 of Order XVIII of the Code of Civil Procedure, 1908. Explain briefly with reasons.

दीवानी वाद में साक्षी की मुख्य परीक्षा दाखिल करने के संबंध में दिये गये प्रावधान सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 18 नियम 5 के अन्तर्गत दी गयी आवश्यकता के विरोधाभासी नहीं है। कारण बताते हुए संक्षेप में स्पष्ट करें।

(05 Marks)

Q. 6 Appellate court can allow application for additional evidence if it requires to enable it to pronounce judgment. Elucidate briefly.

निर्णय पारित करने हेतु, अपीलीय न्यायालय अगर चाहे तो अतिरिक्त साक्ष्य के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकता है। स्पष्ट करें।

(05 Marks)

Q. 7 Whether time for filing written statement can be extended by the trial court beyond 90 days? Give answer with reasons and case-law.

क्या विचारण न्यायालय द्वारा जवाब दावा पेश करने का समय 90 दिन के आगे भी बढ़ाया जा सकता है ? तर्कों और निर्णयों के द्वारा बतायें।

(05 Marks)

Q. 8 Discuss briefly the principles of Order XIV Rule 2 in its co-relation to Order XLI Rule 31.

आदेश 14 नियम 2 के सिद्धान्तों की आदेश 41 नियम 31 से परस्पर संबंध बताते हुए संक्षेप में चर्चा करें।

(05 Marks)

Q. 9 Write short notes on the following:

a. Amendment of Pleadings in civil suits

b. Distinguish between judgment and decree

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

क. दीवानी वादों में अभिकथनों का संशोधन

ख. निर्णय और आज्ञप्ति में अंतर बतायें

(5 x 2 = 10 Marks)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (30 Marks)

Q. 10 Explain the limitations imposed by the Code of Criminal Procedure, 1973 especially with reference to Section 41 and the ratio laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in **Arnesh Kumar vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273**, on the powers of the police officer to arrest an accused or the jurisdiction of the Magistrate to remand him.

धारा 41 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अरनेश कुमार बनाम् बिहार राज्य, (2014) 8 एस0एस0सी0 273** में अभियुक्त को गिरफतार करने की पुलिस अफसर की शक्ति तथा मजिस्ट्रेट द्वारा उसके रिमांड के क्षेत्राधिकार पर निर्धारित अनुपात का विशेष संदर्भ लेते हुए, दण्ड प्रकिया संहिता के द्वारा अधिरोपित सीमाओं को स्पष्ट करें।

(10 Marks)

Q. 11 Elucidate the distinction between compoundable and non-compoundable offences stating the rationale behind it.

शमनीय तथा गैर–शमनीय अपराधों के पीछे के तर्क उल्लिखित करते हुए उनके मध्य अन्तर स्पष्ट करें।

(05 Marks)

Q. 12 Explain the factors, which are relevant for consideration for discharge of an accused in a criminal trial.

दाण्डिक परीक्षण में अभियुक्त के उन्मोचन पर विचार करने के लिए सुसंगत कारकों को स्पष्ट करें।

(05 Marks)

Q. 13 Write short notes on the following:

i. Powers of the court to recall witness in criminal trial.

ii. Magistrate's power to hold an inquiry in case of custodial death.

iii. Splitting of criminal trials.

iv. Discuss the powers of the criminal court to alter its own orders and judgments.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

क. दाण्डिक परीक्षण में गवाह को पुनः बुलाने की न्यायालय की शक्ति।

ख. अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में जॉच करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।

ग. दाण्डिक परीक्षण का पृथक्करण।

घ. अपने स्वयं के आदेशों एवं निर्णयों को बदलने की फौजदारी न्यायालय की शक्तियों की चर्चा करें।

(2.5 x 4 = 10 Marks)

LEGAL DRAFTING (10 Marks)

Q. 14 Draft a Plaint on imaginary facts on any one of the below-mentioned topics:

(i) for 'partition'; or

(ii) for 'grant of mandatory injunction' or

(iii) for 'specific performance of contract'.

निम्न वर्णित विषयों में से किसी एक विषय पर काल्पनिक तथ्यों के आधार पर दावे का मसौदा तैयार करें:

क. विभाजन के लिये; या

ख. आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी करने के लिये; या

ग. संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिये।

(10 Marks)

****